Centre for CIVIL SOCIETY
Social Change through Public Policy

मनमाने जुर्माने के खिलाफ पथ विक्रेताओं के अधिकार

किसी फुटकर विक्रेता पर स्थानीय प्राधिकरण केवल निम्नलिखित कारणों से ही जुर्माना लगा सकते है:

1 विक्रय प्रमाणपत्र न होना

पथ विक्रेता (एसवी) अधिनियम, 2014 की धारा 28 के तहत, विक्रय प्रमाण पत्र (सीओवी) के बिना विक्रय करने पर पथ विक्रेता पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस धारा के तहत जुर्माने की राशी 2,000 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती।

2 विक्रय प्रमाणपत्र के शर्तों का उल्लंघन करना

पथ विक्रेता अधिनियम की धारा 28 के तहत, विक्रय प्रमाणपत्र के किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर पथ विक्रेता पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस धारा के तहत जुर्माने की राशी 2,000 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती।

3 किसी भी अन्य नियम या शर्त का उल्लंघन करना

पथ विक्रेता अधिनियम की धारा 28 के तहत, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों या योजनाओं का उल्लंघन करने पर पथ विक्रेता पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस धारा के तहत जुर्माने की राशी 2,000 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती।

4 बेदखली या स्थानांतरण नोटिस का पालन ना करना

पथ विक्रेता अधिनियम की धारा 18(5) के तहत, बेदखली या स्थानांतरण के नोटिस का पालन ना करने पर पथ विक्रेता पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना 250 रुपए प्रति दिन तक का हो सकता है लेकिन जुर्माने की कुल राशी ज़ब्त किए गए माल की कीमत से ज़्यादा नहीं हो सकती।

5 कचरा जमा करना

दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम, 1957 की धारा 357 के तहत, कचरा, गंदगी या कोई अन्य प्रदूषित एवं हानिकारक सामान जमा करने पर फुटकर विक्रेता पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस धारा के तहत जुर्माने की राशी 50 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती।

6 उत्पात मचाना

डीएमसी अधिनियम की धारा 397 के तहत, सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर उत्पात मचाने के लिए किसी पथ विक्रेता पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस धारा के तहत जुर्माने की राशी 50 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती।

सेंटर फोर सिविल सोसायटी

www.ccs.in | ए-69, हौज खास, दिल्ली- 110016

व्हाट्सएप्प हेल्पलाइन नंबर : + 91 9315013135 (**प्रशांत नारंग**) | **ज़्यादा जानकारी के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें** - www.youtube.com/ccsindiatv